संख्या-20/2019/क0नि0-4-835/11-2019-300(53)/2019

प्रेषक,

नीरजा कुरील,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 11 सितम्बर, 2019**

विषयः- एल-ब्लाक, शास्त्री नगर, मेरठ स्थित कुल 24 वाणिज्य कर विभागीय भवनों का अनुरक्षण कार्य (सिविल, विद्युत एवं सेनेटरी) कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-स0नि0-मेरठ-192-भाग-2(1)/आवासीय भवन अनुरक्षण/2019-20/352/वाणिज्य कर, दिनांक-02.08.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में 29-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि रू0-4.00 करोड़ में से एल-ब्लाक, शास्त्री नगर, मेरठ स्थित कुल 24 वाणिज्य कर विभागीय भवनों का अनुरक्षण कार्य (सिविल, विद्युत एवं सेनेटरी) कराये जाने हेतु विभागीय आवास संख्या-एल-1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127, 1129, 1131, 1133, 1137, 1139, 1141, 1155, 1157, 1159, 1161, 1163, 1165, 1167, 1169 अर्थात कुल 23 आवासों में अनुरक्षण कार्य हेतु राजकीय कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, मेरठ का कुल रू0 59.128 लाख (रुपया उन्सठ लाख बारह हजार आठ सौ मात्र) एवं आवास संख्या-एल-1135 का राजकीय कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, मेरठ का रू0 02.77 लाख (रुपया दो लाख सतहत्तर हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रु0-61.898 लाख (रुपया इकसठ लाख नवासी हजार आठ सौ मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं : -

(1) आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/ दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखाशीर्षक-2216- आवास-01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास-03- वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य-29-अनुरक्षण मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

(नीरजा कुरील)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-20/2019/क0नि0-4-835(1)/11-2019, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. एडीश्नल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, मेरठ।
6. सर्वश्री ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, मेरठ/ यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, मेरठ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(नरेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।